993

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक– /2015 निगरानी 548-I-15

सुरेश कुमार पुत्र श्री भवानीदीन ब्राम्हण, निवासी–ग्राम गहवरा तसहील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) ——आवेदक

बनाम

म.प्र. राज्य ——अनावेदक

<u>न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रं.–148/स्व.नि. 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 29/10/2014 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण</u>

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–</u>

1. यह कि, ग्राम गहवरा तहसील गौरिहार जिला छतरपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक–2103 रकवा 1.368 हैक्टेयर पर आवेदक का सन् 1984 के पूर्वसे काश्त करते हुये कब्जा चला आ रहा था। इस भूमि पर उसे भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किये जाने हेतु आवेदक ने म.प्र. कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही है दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किया जाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1984 के अधीन तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन किया गया। आवेदक भूमिहीन कृषि श्रमिक उसी ग्राम का निवासी है।

2. यह कि, तहसीलदार महोदय द्वारा विधिवत् उद्घोषणा का प्रकाशन कर जिस पर ग्राम पंचायत या किसी अन्य की कोई आपत्ति न आने पर एवं आवेदक को पात्र व्यक्ति पाते हुये राजस्व प्रकरण क्रमांक–314/अ–19(4)/1987–88 में पारित आदेश दिनांक 05/01/1988 द्वारा भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किये जाने का आदेश पारित कर पट्टा प्रदान

Hmt. (Rd-=1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-548-एक/2015 जिला छतरपुर सुरेश विरूद्ध शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 148/स्व.निग./2012-13 में पारित आदेश दिनांक 29-10-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 18-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 25/2/2019 सदस्य	